फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी–गंगाराम | प्रतिवादी– लालचन्द व अन्य

केस संख्या : 152 / 2016 वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी स्वयं उप0। पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी खसरा नंबर 2777 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा ग्राम देवमण्ड, तहसील फागी, जिला जयपुर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी खसरा नंबर 2777 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने स्वयं उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति जाहिर की है, न्यायहित में प्रतिवादी की सहमतिनुसार वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 2777 रकबा 4 बीघा 17 ग्राम देवमण्ड, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, एवं कब्जा, ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 9/6/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ....फागी.... में सुनाया गया। (सावन कुमार चायल) उपखण्ड अधिकारी फागी	

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

गंगाराम

बनाम

लालचन्द व अन्य

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 152/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 2777 रकबा 4 बीघा 17 ग्राम देवमण्ड, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, एवं कब्जा, ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे।

निज..........मुबंलिग..........बाबत..........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..........फीसदी..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..........का अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9/6/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.......... उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.......... फागी (जयपुर)

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		Nil
फीस कमीश्नर	Nil		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)